

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली इन्तजार में रखा
गई।

पत्रावली शीघ्र 5 बजे पुनः पेश हुई।
वादी अधिवक्ता व स्वयं वादी को गृहक-गृहक
आवाज लगावाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुए।
वादी अधिवक्ता व वादी को बार-बार आवाज
लगावारे के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने
से पत्रावली अदम टाजरी अदम पंखी में खरिज
की जाती है। पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24.11.25 को शेर
इजलास सुनाया गया।

jh

निर्णय किया गया कि
पत्रावली में
दिनांक 24.11.25 को
शेर इजलास सुनाया गया।

दिनांक 24.11.25 को
शेर इजलास सुनाया गया।